HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 8120/2026
CNR: RJHC010589142026
URN: CRLMB / 17632U / 2026

Mukesh S/o Ramniwas, Aged About 21 Years, Kumharo Ki Dhaniyan, Shriyade Mandir Ke Pass Tankla, Police Station-Khinwsar, District- Nagaur Rajasthan (Lodged In Central Jail, Jodhpur Since 28-04-2026)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through The Public Prosecutor.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Rajak Khan Haider Mr. Kalbe Mohammed Mr. Aalim Ansari
For Respondent(s)	:	Mr. Prem Singh Panwar, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

08/07/2026

01. प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा **483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता**, पुलिस थाना **विवेक विहार,** जिला **जोधपुर सिटी पश्चिम** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **84/2026,** अपराध अन्तर्गत धारा **70(1), 308(4), 87, 140(2) व 316(2) भारतीय न्याय संहिता, धारा 11 व 12 पॉक्सो एक्ट तथा धारा 67–ए आई.टी. एक्ट** के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत हुआ है।

02. बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

03. प्रार्थी–अभियुक्त के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि इस मामले में पीड़िता व प्रार्थी–अभियुक्त के साथ लिव–इन रिलेशनशिप का एग्रीमेंट लिखा गया था और अधिक से अधिक सहमति से संबंध बनाने का मामला है। चालान पेश हो चुका है। पीड़िता आज स्वयं उपस्थित है, जिन्हें प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी–अभियुक्त काफी समय से न्यायिक अभिरक्षा में

चल रहा है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। इस आधार पर प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए प्रार्थी–अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया।

05. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पीड़िता के 183 बी.एन.एस.एस. के बयान का अवलोकन किया। इस मामले में चालान पेश हो चुका है। पीड़िता स्वयं न्यायालय में उपस्थित है, जिसने आधार कार्ड पेश कर बताया कि प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने में उसे कोई आपत्ति नहीं है। पीड़िता ने स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की। प्रार्थी–अभियुक्त व पीड़िता के मध्य लिव–इन रिलेशनशिप का इकरारनामा पत्रावली में संलग्न है।

06. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

07. परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी–अभियुक्त **मुकेश पुत्र रामनिवास** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास–पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

40/Divyashri Maru/677